POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.05.2026

1. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा 'हत्या' के अभियोग में वांछित 25,000/- रुपये का इनामी (मुख्य) अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे/ निशानदेही से घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल), अवैध शस्त्र, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.05.2026** को **थाना इकोटेक-3 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से उक्त घटना के मुख्य आरोपी अभियुक्त प्रीत नागर पुत्र कल्लू उर्फ कालू व उसके सहयोगी अभियुक्त दीपक उर्फ क्रिश नागर पुत्र जगत नागर को खैरपुर गोल चक्कर के पास सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त प्रीत नागर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) 01 पिस्टल मय 02 जिंदा कारतूस .32 बोर व अभियुक्त दीपक उर्फ क्रिश नागर के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व निशानदेही से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0-UP20BC9184 बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण/ पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- थाना इकोटेक-3 क्षेत्रांतर्गत ग्राम वेदपुरा में मृतक दीपक नागर की गोली मारकर हुई 'हत्या' के संबंध में थाना इकोटेक-3 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा उक्त घटना में 06 अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हत्या का मुख्य आरोपी प्रीत नागर अपने सहयोगियों के साथ घटना कारित करने के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त प्रीत नागर द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011 में उसके पिता स्व0 कालू की हत्या हुई थी, जिसमें मृतक दीपक नागर के पिता बरी हो गए थे। अभियुक्त प्रीत नागर द्वारा बदले की भावना से अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक नागर की हत्या की घटना कारित की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--
1. प्रीत नागर पुत्र कल्लू उर्फ कालू निवासी ग्राम वेदपुरा, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. दीपक उर्फ क्रिश नागर पुत्र जगत नागर निवासी ग्राम वेदपुरा, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--
मु0अ0सं0- 193/2026 धारा 103(1),61(2) ,3(5) बीएनएस, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
1- घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) 01 पिस्टल मय 02 जिंदा कारतूस .32 बोर

2- 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस
3- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0-UP20BC9184

2. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन व ₹2500 नकद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.05.2026** को **थाना सेक्टर-142 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 02 अभियुक्त 1. पुष्पेन्द्र शाहू उर्फ अतुल कुमार पुत्र लखन सिंह 2. अभय उर्फ अक्की पुत्र देशराज को एफएनजी सर्विस मार्ग पर मेट्रो लाइन के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन व चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त ₹2,500 नकद बरामद किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण/ पूछताछ का विवरण-- दिनांक 27.05.2026 को अभियुक्तों द्वारा ग्राम शाहदरा स्थित एक घर से मोबाइल फोन चोरी किया गया एवं दिनांक 12.05.2026 को केशव आईटी पार्क के सामने खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर 01 लैपटॉप एवं 01 मोबाइल फोन चोरी किया गया तथा दिनांक 21.04.2026 को शांति निकेतन अपार्टमेंट के पास खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा 01 लैपटॉप चोरी किया गया। उक्त घटनाओं के संबंध में थाना सेक्टर-142 पर अभियोग पंजीकृत किया गया हैं।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वे घनी बस्तियों में स्थित मकानों में रेकी कर खुली खिड़कियों व सुनसान जगह पर खड़ी कारों का शीशा तोड़कर मोबाइल फोन, लैपटॉप चोरी किया करते थे व फिर उन्हें सस्ते दामों में बेचकर रुपयों को आपस में बाँट लिया करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. पुष्पेन्द्र शाहू उर्फ अतुल कुमार पुत्र लखन सिंह निवासी रनेह, थाना रनेह, दमोह (मध्यप्रदेश) वर्तमान पता ग्राम शाहदरा, सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 21 वर्ष।
2. अभय उर्फ अक्की पुत्र देशराज निवासी ग्राम बौरोली, थाना खुर्जा कोतवाली, बुलंदशहर वर्तमान पता ग्राम शाहदरा, सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1- मु0अ0सं0 98/2026 धारा 305,317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0 70/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0 85/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1- चोरी के 02 लैपटॉप
2- 02 मोबाइल फोन
3- ₹2500 नकद बरामद

3. थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की लाइसेंसी बंदूक मय 04 कारतूस .12 बोर, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/ पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्तगण अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे तभी उनकी नजर सड़क किनारें सोते हुए सुरक्षा गार्ड पर पड़ी तो उन्होनें देखा कि गार्ड के कंधे पर काले बैग में एक बंदूक टंगी हुई। अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल को रोककर बंदूक को चोरी करके वहाँ से चले गए। सूचना प्राप्त होते ही थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.05.2026** को **थाना सेक्टर-20 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तगण (1) दिव्यांशु शुक्ला उर्फ भूरी पुत्र रितेश शुक्ला (2) शिवम पुत्र बबली (3) साहिल शर्मा पुत्र अजय शर्मा (4) आर्यन सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह को भगत सिंह पार्क सेक्टर-31 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से सुरक्षा गार्ड से चोरी की गई लाइसेंसी बंदूक (डिसमेंटल अवस्था), 04 कारतूस .12 बोर, सुरक्षा गार्ड की सीटी, बैंक पासबुक, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0-UP16AX1688 व अभियुक्त दिव्यांशु शुक्ला उर्फ भूरी, शिवम पुत्र बबली के कब्जे से 01-01 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

(1) दिव्यांशु शुक्ला उर्फ भूरी पुत्र रितेश शुक्ला निवासी काशीराम कॉलोनी, थाना गोला, लखीमपुर खीरी वर्तमान पता ग्राम चौड़ा, सेक्टर-22 नोएडा, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग-19 वर्ष।

(2) शिवम पुत्र बबली निवासी ग्राम बिशनपुरा, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 22 वर्ष।

(3) साहिल शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी खुर्जा नगर, थाना खुर्जा सिटी, बुलंदशहर वर्तमान पता ग्राम बिशनपुरा, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 21 वर्ष।

(4) आर्यन सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर, थाना धौलाना, हापुड़ वर्तमान पता ग्राम चौड़ा, सेक्टर-22 नोएडा, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग-19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त दिव्यांशु शुक्ला--**

1- मु0अ0सं0 189/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0 191/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0 192/2024 धारा 317(5) बीएनएस, व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त शिवम पुत्र बबली--**

1- मु0अ0सं0 189/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0 191/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त साहिल शर्मा व अभियुक्त आर्यन सिंह--**

1- मु0अ0सं0 189/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- सुरक्षा गार्ड से चोरी की गई लाइसेंसी बंदूक (डिसमेंटल अवस्था), 04 कारतूस .12 बोर
2- सुरक्षा गार्ड की सीटी, बैंक पासबुक
3- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0-UP16AX1688
4- 02 अवैध चाकू